

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-33/जोन-कोटा/भरतपुर/एफ.09/2024/500

दिनांक 04/06/24

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक के राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/ पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	सतीश कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरौठ जिला करौली	01.07.1964	22.02.1985	30.06.2024
2.	महेन्द्र कुमार जांगीड, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा।	28.06.1964	27.02.1985	30.06.2024
3.	देवेन्द्र कुमार सरसवाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा।	03.02.1965	30.11.1989	28.02.2025
4.	दिनेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सामान्य चिकित्सालय करौली।	04.07.1964	16.04.1992	31.07.2024
5.	मेघ सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्ड -डीग जिला-डीग	13.07.1964	21.09.1984	31.07.2024
6.	नरपत सिंह, अधीक्षक रेडियोग्राफर	श्री जगन्नाथ पहाडिया मैडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सालय समूह (भरतपुर)	15.12.1964	05.12.1984	31.12.2024

कर्मचारी के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7642816

Retirement order/P.Ms/2024

क्रमांक : ई-33/जोन-कोटा/भरतपुर/एफ.09/2024/500

दिनांक 04/06/24

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, कोटा/भरतपुर/जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
3. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
7. डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर